जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 24.01.2024***

आज दिनांक 24.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल 01 महिला, 01 पुरुष को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3312 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कुशरु खुर्द से इवेन्ट संख्या 11969 से कालर द्वारा दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद की सूचना पर महिला व पुरुष (**01- विरेन्द्र पुत्र बगेदू, 02- झांती देवी पत्नी विरेन्द्र निवासी कुशरु खुर्द थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अनुज कुमार, हो0चा0 करम हुसेन।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 54 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 54 वाहनों से 49,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 24.01.2024**

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मार-पीट के मामलें मे अभियुक्त को 06 माह की परिवीक्षा व 20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 20 हजार के प्रतिभू पर छोड़ा गया

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 24.01.2024 को *श्रीमान **अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 507/2009 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)x के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता विरेन्द्र राय पुत्र दुलारे राय निवासी कर्री थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाये जाने पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 के अन्तर्गत छ: माह के सदाचार की परिवीक्षा व 20 हजार रु0 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 20 हजार रु0 के प्रतिभू पर छोड़ा गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.01.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 24.01.2024 को ***सीजे(जेडी) एपटीसी प्रथम/जेएम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता फरीद आलम पुत्र अब्दुल वफा निवासी बाधनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 10 दिवस की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 24.01.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 02 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 24.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। **थाना दुधारा** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।